संख्या-72/2022/04(2)/41-2022-48(बजट)/2019

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक, पर्यटन
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊः दिनाँक 07 मार्च ,2022

विषयः- जनपद मथुरा के गोकुल में राही पर्यटन भवन में टायलेट ब्लाक एवं आन्तरिक विकास कार्य की परियोजना को निरस्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा के पत्रांक- 738 /ब्र.ती.वि0.प./2021-22 दिनांक 21-11-21 के क्रम में अपने पत्रांक-6156/6-1-1/(44)/ब्र0ती0वि0प0 /2019 दिनांक 29-12-21 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे, जिसके माध्यम से संदर्भगत प्रायोजना हेतु शासनादेश सं0-164/2019 /808/41-2019-48(बजट)/2019 दिनांक 17-6-19 द्वारा प्रदान की गई रू0 273.67 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि रू0-136.84 लाख का उल्लेख करते हुये प्रायोजना को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव क्रम में सम्यक विचारोपरान्त जनपद मथुरा के गोकुल में राही पर्यटन भवन में टायलेट ब्लाक एवं आन्तरिक विकास कार्य की संदर्भगत परियोजना को श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निरस्त करने की अनुमति प्रदान करते है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि प्रायोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि रू0-136.84 लाख एवं उक्त धनराशि पर अद्यावधि अर्जित किये गये ब्याज को राजकोष में अविलम्ब जमा कराते हुये कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद /उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
4- मुख्य अभियन्ता, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
7- श्री कल्याण सिंह उप निदेशक , पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8- उप निदेशक, पर्यटन, आगरा मण्डल।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in